भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1955

उत्तर देने की तारीख- 30/07/2026

केरल में पीएम-जनमन का कार्यान्वयन

†1955. डॉ. शशि थरूर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि केरल में विशेषरूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों की सुलभता में पीएम-जनमन के अंतर्गत किए गए उपायों से कितना सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को केरल में पीएम-जनमन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत पीवीटीजी लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले लाभ के वितरण से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या कोई चुनौतियां सामने आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी लाभार्थियों को प्राप्त लाभों की समय पर प्रदायगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों और केरल सरकार के समक्ष उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का केरल में पीवीटीजी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार करने तथा पीएम-जनमन के अंतर्गत लाभों की प्रदायगी में तेजी लाने के लिए किसी अतिरिक्त उपाय का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): मंत्रालय केरल राज्य सहित क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करता रहा है। प्रगति का आकलन आवधिक समीक्षाओं, क्षेत्र-स्तरीय निगरानी और संबंधित राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। अभियान

के अंतर्गत अब तक की गई प्रगति ने बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार के माध्यम से केरल राज्य में पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया है। केरल के संदर्भ में पीएम-जनमन के अंतर्गत दिनांक 30.06.2026 तक प्रदान किए गए लाभों का मंत्रालय-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): केरल में पीएम-जनमन के कार्यान्वयन में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है अथवा कोई चुनौती सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ): पीएम-जनमन के अंतर्गत विद्यमान उपायों के कार्यान्वयन तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने हेतु, मंत्रालय संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग/अन्य लाइन राज्य विभागों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की है। यह इकाई प्रगति का आकलन करने हेतु लाइन मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करती है।

अनुलग्नक - I

"केरल में पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा लोकसभा को दिनांक 30.07.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या †1955 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल राज्य में पीएम-जनमन के अंतर्गत उपायों की प्रगति का ब्यौरा (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)*

ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		जल शक्ति मंत्रालय (जल जीवन मिशन)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (सर्व शिक्षा अभियान)	
आवास स्वीकृत (आवास)	पूर्ण (आवास)	सड़क स्वीकृत (किमी. में)	पूर्ण (किमी. में)	स्वीकृत गांव	संतृप्त गांव	स्वीकृत एवं संचालित सचल चिकित्सा इकाई (एमएमयू)	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	संचालित आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	स्वीकृत (संख्या)	कार्य पूर्ण (संख्या)
1301	63	0.00	0	96	1	30	5	5	4	0

विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)		संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय			
स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	कवरेज हेतु नियोजित बस्तियां	कवर की गई बस्तियां	स्वीकृत बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	पूर्ण बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)	प्रारंभ किया गया व्यवसाय
345	135	98	88	49	33	15	4	8	7

*संबंधित मंत्रालयों/विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।
